	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 08, 2026

क्रम संख्या:- प. 2(20) वन/2025 :-चूँकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूँकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अधीन रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूकि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना ओर उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों को पूर्वोक्त वन भूकि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18,तथा 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक एतद् द्वारा कथित उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरखित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवन किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूचि (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
1	9 SMD	बज्जू	बीकानेर	उत्तर - नहर दक्षिण - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-2/62 पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-3/6 पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-2/62	9 SMD	क्र. सं	प. न./मु. न.	भूमि	विवरण	
								कि. न./ख. न.	रकबा हैक्टेयर मे	भूमि किस्म
						1	2/62	13	0.2530	
								14	0.2530	
								15	0.2530	
								16	0.2530	
								17	0.2530	
								18	0.2530	
							योग - कुल किता 6		1.5174	
							कुलयोग		**1.5174**	**हैक्टेयर**

मोहम्मद वसीम,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

डेलीतलाई ।

बलराम शर्मा,

उप वन संरक्षक इकाई तृतीय ,

इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	*Azadirachta indica, A.juss*	नीम
2	*Acacia arubica willd*	बबूल
3	*Acacia jaquemontil*	बोवली
4	*CordiaMyxa, Linn*	लसौडा
5	*Cordia rothi*	गूंदी
6	*Calligonum polygonouides*	फोग
7	*Calotropis procera R.Sr.*	आक
8	*Cassia fistula, Linn*	अमलतास
9	*Capparis decidna*	केर
10	*Dalbergis sissoo, Roxb*	शीशम
11	*Encalyptus spp*	सफेदा
12	*Ficus religiosa, Linn*	पीपल
13	*Ficus bengalensis Linn*	बड
14	*Leptadeniam Reticulatam Wight & Ar*	खीप
15	*Morus alba, Linn*	शहतूत
16	*Ricinus communis*	अरण्ड
17	*Prosopis spiicigera*	खेजडा
18	*Prosopis cineraria*	खेजडी
19	*prosopis juliflora*	विलायती बबूल
20	*Salvadora oligoides*	पीलू
21	*Salvadora persica*	जाल
22	*Saccharum munja*	मूंजा घास
23	*Acacia Tortalis*	इजराईल बबूल
24	*Tecomella undulata*	रोहिड़ा
25	*Zizyphus jujuba Lam*	बेर
26	*zizyphus xylopyra willd*	घोट
27	*Zizyphus nummularia*	झड़ बेर

मोहम्मद वसीम,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डेलीतलाई ।

बलराम शर्मा,
उप वन संरक्षक इकाई तृतीय ,
इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

परिशिष्ठ "क"

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण - पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड/चक – 9 SMD

रेन्ज – इकाई तृतीय, डेलीतलाई

नाम तहसील – बज्जू

नाम वन मण्डल – उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर

1. संलग्न प्रारुप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में सी.एस.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1994-95 करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षो का घनत्व लगभग 47 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातिया बैर, खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 47 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरुप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है ।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारुप यथा विधी पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है । जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

मोहम्मद वसीम,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डेलीतलाई ।

बलराम शर्मा,
उप वन संरक्षक इकाई तृतीय ,
इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।